न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू–राज0

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्र कुमार (RAS)

दावा संख्या 25 / 2022

अजय गोयनका, पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम गोयनका, जाति महाजन, निवासी अहमदाबाद–गुजरात कोपार्सनर गोयनका ब्रदर्स (एच0यू0एफ) संयुक्त हिन्दू परिवार, चन्द्रमुखी बेसमेन्ट, नरीमन प्वाईन्ट, मुम्बई–400021 जरिए मुखत्यार श्री पवन सोमानी, पुत्र स्व0 श्री महावीर सोमानी, जाति महाजन, निवासी वार्ड नं. 10, पिलानी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू–राज0

–वादी

बनाम

1- सीताराम भण्डार, बिड़ला हवेली, पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज0
2- राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड हौल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू–राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, घोषणार्थ,
एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

1. श्री राजकुमार लाम्बा अभिभाषक –वादी
2. श्री प्रमोद पूनियाँ अभिभाषक – प्रतिवादी नं. 1

निर्णय दिनांक 15–11–2022

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पिलानी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 748, जिसके हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0, अवस्थित है जिस के रिकॉर्ड दुरूस्ती, घोषणा व स्थाई निशेधाज्ञा के लिए तथ्यों का अभिवचन कर अनुतोश चाहा है जिस पर प्रतिवादी नं. 1 की तरफ से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादी के अभिवचनों को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी नं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है जिस कारण कोई विवाद्यक विरचित नहीं किए गए। वादी की ओर से साक्ष्य में पी0डब्ल्यु0–1 के बयान दर्ज किए गए तथा दस्तावेज़ी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत–8 पेश किए गए। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी का कथन है कि मौजा पिलानी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू की सरहद में कृषि भूमि साबिक खसरा नं. 748, जिसके हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 अवस्थित है जिस पर प्रतिवादी नं. 1 काबिज है तथा प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि के संलग्न ही पूरब दिशा में वादी की पट्टे शुदा भूमि स्थित है जिसकी उत्तरी भुजा 105 फुट, दक्षिणी भुजा 105 फुट, पूर्वी भुजा 105 फुट तथा पश्चिमी भुजा 105 फुट है जिसका कुल क्षेत्रफल 11025 वर्ग फुट अर्थात 1225 वर्ग गज है जिसके उत्तर में रामदेव जी का मन्दिर, दक्षिण में रास्ता आम, पूरब में रास्ता आम अलमशहूर चाण्डक मार्ग 27 फुट चौड़ा व पश्चिम में प्रतिवादी नं. 1 की भूमि खसरा नं. 979 स्थित है, वादी की उपरोक्त वर्णित भूमि का, पट्टा नं. 392 तत्कालीन जागीरदार ठिकाना मुकुन्दगढ़ के द्वारा मिती अशाढ़ सुदी 2 सम्वत 2001 को श्री नथमल राधेश्याम गोयनका के हक में जारी किया गया है तथा वर्तमान में उपरोक्त वर्णित भूमि वादी गोयनका ब्रदर्स (एच0यू0एफ) संयुक्त हिन्दू परिवार की मिलकियत है जिस पर वादी बतौर ज्यूरिस्टिक पर्सन काबिज मालिक है तथा अपने उपयोग व उपभोग में निर्बाध तौर पर लेता चला आ रहा है जिस पर वर्ष 1983 में वादी के द्वारा एक विद्यालय का भवन तामीर किया गया है। वादी की उपरोक्त वर्णित भूमि को वाद–पत्र के साथ संलग्न नज़री नक्शा में बरंग सुर्ख बमार्क C.D.G.H. दर्शित किया गया है तथा रास्ता आम चाण्डक मार्ग को बमार्क D.E.F.G. दर्शित किया गया है तथा भूमि खसरा नं. 979 के वर्तमान नक्शा को बमार्क A.B.C.E.F.I. दर्शित किया गया है। साबिक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान तैयार किए गए मौजा पिलानी के राजस्व भू–अभिलेख (सर्वे नक्शा) सन् 1936–37, सम्वत् 1993 में राजस्व अधिकारीगण के द्वारा प्रतिवादी नं. 1 की उपरोक्त वर्णित भूमि गत खसरा नं. 748 हाल खसरा नं. 979 के नक्शा की आकृति में वादी की

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

उपरोक्त वर्णित पट्टेशुदा भूमि व रास्ता आम चाण्डक मार्ग की भूमि को शामिल करते हुए नक्शा तैयार कर दिया गया जिसके आधार पर ही नक्शा कि तवार नक्शा भीट सन 1978–79 में वादी की उपरोक्त वर्णित पट्टे ुदा भूमि व रास्ता आम चाण्डक मार्ग की भूमि को प्रतिवादी नं. 1 की भूमि खसरा नं. 979 में सम्मलित करते हुए तैयार किया गया तथा उपरोक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नक्शा भीट भी वादी की भूमि व रास्ता आम चाण्डक मार्ग की भूमि को सम्मलित करते हुए अंकित की गई है जबकि वादी की उपरोक्त वर्णित पट्टेशुदा भूमि व रास्ता आम चाण्डक मार्ग की भूमि उपरोक्त वर्णित भूमि गत खसरा नं. 748 व हाल खसरा नं. 979 का हिस्सा कभी भी नहीं रही है, जो कि उपरोक्त नक्शा भीट राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किए जाने योग्य है तथा वादी की उपरोक्त वर्णित पट्टेशुदा भूमि व रास्ता आम चाण्डक मार्ग की भूमि को प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 979 की सर्वे नक्शा भीट से पृथक कर नक्शा भीट राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा विवादित भूमि जिसे संलग्न नज़री नक्शा में बरंग सुर्ख, बमार्क C.D.G.H. से दर्शित किया गया है, वादी की पट्टेशुदा भूमि है तथा उक्त वर्णित विवादित भूमि पर वादी स्थाई रूप से काबिज मालिक है। वादी की पट्टेशुदा भूमि व रास्ता आम चाण्डक मार्ग की भूमि को हाल भू–प्रबन्ध के दौरान निर्मित भू–अभिलेख व सर्वेशीट में हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 का एक भाग दर्शाया गया परन्तु वादी की भूमि प्रतिवादी नं. 1 के उपरोक्त खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 के पूरब में स्थित है तथा भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा वादी की पट्टेशुदा भूमि को गलत तौर पर हाल सर्वे भीट में प्रतिवादी नं. 1 की भूमि खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 में सम्मलित करते हुए अंकित व दर्शित किया है जो कि हाल भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण के द्वारा सहवन से, गलत तरीके से, नज़री नक्शा में मार्क C.D.G.H. से दर्शित, वादी की पट्टेशुदा भूमि को प्रतिवादी नं. 1 के हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 की आकृति के पूर्वी हिस्से में शुमार कर दिया गया है, जो गलत व दुरूस्त किए जाने योग्य है। जिस पर प्रतिवादी नं. 1 के अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

वाद पत्र के अभिवचन, वादी के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य व वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ात प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–8 , प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब व उभय पक्ष की बहस के विवेचन के आधार पर प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि के संलग्न ही पूरब दिशा में स्थित वादी की पट्टेशुदा भूमि जिसकी उत्तरी भुजा 105 फुट, दक्षिणी भुजा 105 फुट, पूर्वी भुजा 105 फुट तथा पश्चिमी भुजा 105 फुट है जिसका कुल क्षेत्रफल 11025 वर्ग फुट अर्थात 1225 वर्ग गज है जिसके उत्तर में रामदेव जी का मन्दिर, दक्षिण में रास्ता आम, पूरब में रास्ता आम अलमशहूर चाण्डक मार्ग 27 फुट चौड़ा व पश्चिम में प्रतिवादी नं. 1 की भूमि खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 स्थित है, जिस का पट्टा, पट्टा नं. 392 तत्कालीन जागीरदार ठिकाना मुकुन्दगढ़ के द्वारा मिती अशाढ़ सुदी 2 सम्वत 2001 को श्री नथमल राधेश्याम गोयनका के हक में जारी किया गया है, भूमि को वर्तमान परिस्थितयों में प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 से पृथक करने व राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त दुरूस्ती करने में कोई आपत्ति यह न्यायालय नहीं पाता है। अतः वाद वादी के हक में निर्णित किया जाता है।

:आदेशः

वादी का यह वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवम् तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि :–

1. राजस्व ग्राम पिलानी में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 748, जिसके हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0, की नक्शा सर्वे शीट को दुरूस्त कर वादी की पट्टेशुदा भूमि, व चाण्डक मार्ग की भूमि को मौके की स्थिती के अनुसार पैमाईश कर प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है से पृथक व हज़फ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट को दुरूस्त किया ज़ावे तथा वादी की पट्टेशुदा भूमि व चाण्डक मार्ग को सम्मलित आबादी किया जावे एवम इसी अनुसार बन्दोबस्त पूर्व का साबिक राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्तनीय है।

2. राजस्व ग्राम पिलानी में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 748, जिसके हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 जो प्रतिवादी नं. 1 की खातेदरी की भूमि है के कुल रकबा में से मौके के अनुसार वादी की पट्टेशुदा भूमि व चाण्डक मार्ग का रकबा हजफ किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ को अहकाम जारी हो, खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 15–11–2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
(उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़)

Scanned with Oken Scanner

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू–राज0

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्र कुमार (RAS)

वाद संख्या 25/2022

निर्णय दिनांक : 15.11.2022

वादी वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि :–

1. राजस्व ग्राम पिलानी में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 748, जिसके हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0, की नक्शा सर्वे भीट को दुरूस्त कर वादी की पट्टेशुदा भूमि, व चाण्डक मार्ग की भूमि को मौके की स्थिती के अनुसार पैमाईश कर प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है से पृथक व हज़फ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा शीट को दुरूस्त किया जावे तथा वादी की पट्टेशुदा भूमि व चाण्डक मार्ग को सम्मलित आबादी किया जावे ।

2. राजस्व ग्राम पिलानी में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 748, जिसके हाल खसरा नं. 979, रकबा 0.93 है0 जो प्रतिवादी नं. 1 की खातेदरी की भूमि है के कुल रकबा में से मौके के अनुसार वादी की पट्टेशुदा भूमि व चाण्डक मार्ग का रकबा हजफ किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner